



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व ₹2,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2011, धारा- 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त चुन्नू पुत्र पूरन निवासी गौरी कलां थाना जसपुरा जिला बांदा को 04 वर्ष के कारावास व ₹2,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



DGC
श्री राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक- उ0नि0
श्री पन्नालाल



पैरोकार- बिवांर
का0 प्रेम सिंह